

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 147/2021

निर्णय दिनांक : 21/09/2022

1. छाजू पुत्र ग्यारसा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र रामू लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. चन्दा लाल पुत्र उदा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. छीतर पुत्र किशना, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. तीजा देवी पत्नी रामूलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
5. नेहरू पुत्र रामूलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. भूरामल पुत्र उदा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
7. रामगोपाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
8. रामजीलाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
9. शंकरलाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
10. मंजू मीणा पत्नी रामेश्वर लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण



वाद बाबत विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

एवं अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम

23
जयपुर न्यायालय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 17/12 में भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/1 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 0.2250 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार कृष्ण पुत्र रामूलाल का 2/45 भाग, चन्दा लाल पुत्र उदा का 2/15 भाग, छाजू पुत्र ग्यारसा का 1/5 भाग, छीतर पुत्र किशना का 1/5 भाग, तीजा देवी पत्नी रामूलाल का 2/45 भाग, नेहरू पुत्र रामूलाल का 2/45 भाग, भूरामल पुत्र उदा का 2/15 भाग, रामगोपाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग, रामजीलाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग एवं शंकरलाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074-2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। इसी प्रकार ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 30/27 में भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.1420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.2420 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार छाजू पुत्र ग्यारसा का 1/5 भाग, छीतर पुत्र किशन का 1/5 भाग, मंजू मीणा पत्नी रामेश्वर लाल का 2/5 भाग, रामगोपाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग, रामजीलाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग एवं शंकरलाल पुत्र बद्री का 1/15 भाग है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074-2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। वाद खण्ड 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि सम्मिलित खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है इसका राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार कोई विभाजन नहीं हुआ है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 2/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 2/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/15 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में निहित है। सभी सह खातेदार सहूलियत के हिसाब से सम्मिलित रूप से काबिज रहकर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार वाद खण्ड 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि सम्मिलित खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है इसका राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार कोई विभाजन नहीं हुआ है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 2/5 हिस्सा, राजस्व रिकॉर्ड में निहित है। इसी अनुसार सभी सह खातेदार सहूलियत के हिसाब से सम्मिलित रूप से काबिज रहकर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को यह प्रस्ताव दिया कि वे भूमि वादग्रस्त को तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमती से विधिवत एवं कानूनन विभाजित करवा लें उसके पश्चात् अपने-अपने हिस्से की भूमि को जैसे चाहें वैसे उपयोग-उपभोग में लें, इस प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण ने संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया तथा दिनांक 18.10.2021 को अवैध रूप से भूमि वादग्रस्त पर मकानात बनाने करने की निर्माण सामग्री डालकर मजदूरों से काम करवाने लगे जिस पर वादी ने मौके पर जाकर प्रतिवादीगण से उक्त अवैध कृत्य के बारे में जानकारी करनी चाही तो प्रतिवादीगण वादी से आमादा-फसाद हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम तो भूमि वादग्रस्त का कोई विभाजन नहीं करवाना चाहते, हम तो तुम्हारे हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कर मकानात बनायेंगे प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी उक्त धमकी एवं आपसी सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार करने की वजह से ही वादी को वादकारण उत्पन्न होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जब तक वादी एवं

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर विधीय

प्रतिवादीगण के मध्य मीटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर अपने हिस्से अनुसार विभाजन नहीं हो जाता है तो इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि शेष सभी खातेदार धन व बाहुबल के आधार पर अपनी इच्छानुसार मूल्यवान भूमि पर काबिज होना चाहेंगे परिणामस्वरूप इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि वे सभी वादी को उनके हिस्से अनुसार सम्मिलित रूप से काश्त करने में ओर जहाँ पर वादी काश्त कर रहा है वहाँ से उन्हें जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेंगे ऐसी दशा में वादी के लिए इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि जब तक वादग्रस्त भूमि का मीटस् एण्ड बाउण्डस् पर विभाजन होकर अलग खाते न बन जाये तब तक वादी को सम्मिलित रूप से काश्त करने में प्रतिवादीगण ना तो रूकावट पैदा करे, ना ही कोई बाधा उत्पन्न करे, ना ही विशिष्ट भू-भाग पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करे एवं मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत् बनाये रखे। इस कारण वादी के लिए निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, यही निषेधाज्ञा के वाद के लिए वादकारण है। वाद खण्ड 1 व 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन होने के पश्चात् भविष्य में भी सह खातेदारों के मध्य सीमा विवाद उत्पन्न होने की संभावना है इसलिए किसी भी प्रकार का वाद-विवाद शेष ना रहे स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है यही स्थाई सीमाचिन्ह कायम करने एवं पत्थरगढी के वाद के लिए वादकारण है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थिति होने से श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय में निहित है। विभाजन के लिए राजस्थान सरकार जो कि भूमि धारक है आवश्यक पक्षकार है इसीलिए उन्हें वाद में पक्षकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पक्षकार वाद बनाया गया है। यद्यपि वाद में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुतोष की मांग नहीं की गई है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर:-

क. ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 17/12 में भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/1 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 0.2250 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खाता संख्या 30/27 में भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.1420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.2420 हैक्टेयर की प्रत्येक खातेदार के हिस्से में दर्ज हिस्से का वास्तविक विभाजन करवाया जाकर प्रत्येक का अलग-अलग खाता कायम किया जावे तदानुसार लगान का निर्धारण किया जावे।

ख. वाद खण्ड 1 व 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन होने के पश्चात् भविष्य में सह खातेदारों के मध्य सीमा को लेकर किसी भी प्रकार विवाद शेष ना रहे इसलिए स्थाई सीमाचिन्ह कायम करने एवं पत्थरगढी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

ग. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद खण्ड 1 व 2 में वर्णित भूमि के वास्तविक विभाजन होने तक दर्ज हिस्से अनुसार भूमि के सम्मिलित रूप से काश्त करने, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे तथा विभाजन के पश्चात् वादी के अलग खाते के रूप में प्राप्त भूमि के उपयोग उपभोग व काश्त करने में किसी प्रकार की मजामत ना स्वयं उत्पन्न करे, ना अन्य से करावे, ना ही विशिष्ट भू-भाग पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करे एवं मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत् बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की ओर से श्री हेमराज भदाला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं 10,

उप-खण्ड अधिकारी

जयपुर विधायक

11 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए। दिनांक 26.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 08.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 10 के नोटिस तामिल होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं होने की वजह से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.12.2021 को वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर उक्त वाद में सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन करने पर दिनांक 17.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अतः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.12.2021 को जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर कर दिनांक 07.01.2022 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/डिक्री/6701 दिनांक 08.08.2022 को कुर्रैजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। दिनांक 16.09.2022 को वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता 7 लगायत 9 ने वाद को मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन एवं आदेशिका पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की कुर्रैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी एवं कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 16.09.2022 को वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता 7 लगायत 9 ने वाद को मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन एवं आदेशिका पर सहमति जाहिर करने पर वादी का वाद मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 17/12 में भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/1 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 0.2250 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खाता संख्या 30/27 में भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.1420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.2420 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान जमाबंदी की प्रविष्टि	खसरा सं.	रकबा हैक्टेयर	मृदा की किस्म
17		1. कृष्ण पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/45 सा. देह	551	0.0250	चही 1
		2. चन्दालाल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 2/15 सा. देह	552	0.0100	गै. मु.
		3. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह	553	0.0800	चाह जाव 1
		4. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 1/5 सा.देह	586/1	0.1100	चाही 1
		5. नेहरू पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/45 सा. देह	कुल किता 4	0.2250	जाव 1
		6. भूरामल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 2/15 सा. देह			चाही 1
		7. रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना			


उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

		हिस्सा 1/15 सा. देह 8. लीजा देवी पत्नी रामूलाल जाति मीना 2/45 सा. देह 9. रामजी लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 10. शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह			
2	30	1. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 2. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 3. मंजू मीना पत्नी रामेश्वर लाल जाति मीना हिस्सा 2/5 सा. देह 4. रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 5. रामजी लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 6. शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह	550 555 किता 2	0.1420 0.1000 0.2420	चाही 1 जाय 1 चाही 1

प्रस्तावित प्रविष्टी		प्रस्तावित खसरा	रकबा	रंग
1.	छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा पूर्ण सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	586/1 मिन किता 01	0.0550 0.0550	हरा
2.	रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	586/1 मिन किता 01	0.0550 0.0550	पीला
3.	रामजीलाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
4.	शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
1.	कृष्ण पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	553 552	0.0800 0.0100	
2.	चन्दालाल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 6/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	551	0.0250	
3.	छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 5/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	किता 03	0.1150	
4.	नेहरू पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
5.	भूरामल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 6/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील			

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

चाकसू जिला जयपुर 6. तीजा देवी पत्नी रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
1. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 96/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	550	0.1420	
2. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 171/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	<u>555</u>	<u>0.1000</u>	
3. रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	किता 02	<u>0.2420</u>	
4. रामजीलाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
5. शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
6. मंजू मीना पत्नी रामेश्वर लाल जाति मीना हिस्सा 2/5 सा. देह			



उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
उप-खाना अधिकारी
उपखाना अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास एकता काबरा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 147/2020

1. छाजू पुत्र ग्यारसा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
.....वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र रामू लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. चन्दा लाल पुत्र उदा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. छीतर पुत्र किशना, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. तीजा देवी पत्नी रामूलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
5. नेहरू पुत्र रामूलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. भूरामल पुत्र उदा, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
7. रामगोपाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
8. रामजीलाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
9. शंकरलाल पुत्र बद्री, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
10. मंजू मीणा पत्नी रामेश्वर लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम मानपुर नांगलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी ग्राम किलकीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण



वाद बाबत विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम
एवं अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है । वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मानपुर नांगलिया, पटवार

**उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय**


हल्का बीलवाकलां, भू-अभिलेख नि. गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 17/12 में भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/1 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 0.2250 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खाता संख्या 30/27 में भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.1420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.2420 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान जमाबंदी की प्रविष्टी	खसरा सं.	रकबा हैक्टेयर	मृदा की किस्म
1	17	1. कृष्ण पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/45 सा. देह 2. चन्दालाल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 2/15 सा. देह 3. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 4. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 5. नेहरू पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/45 सा. देह 6. भूरामल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 2/15 सा. देह 7. रामगोपाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 8. तीजा देवी पत्नी रामूलाल जाति मीना 2/45 सा. देह 9. रामजी लाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 10. शंकर लाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह	551 552 553 586/1 कुल किता 4	0.0250 0.0100 0.0800 <u>0.1100</u> <u>0.2250</u>	चही 1 गै. मु. चाह जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1
2	30	1. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 2. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 1/5 सा. देह 3. मंजू मीना पत्नी रामेश्वर लाल जाति मीना हिस्सा 2/5 सा. देह 4. रामगोपाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 5. रामजी लाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह 6. शंकर लाल पुत्र बद्री जाति मीना हिस्सा 1/15 सा. देह	550 555 किता 2	0.1420 <u>0.1000</u> <u>0.2420</u>	चाही 1 जाव 1 चाही 1



उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (जी.डी.)

प्रस्तावित प्रविष्टी	प्रस्तावित खसरा	रकबा	रंग
1. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा पूर्ण सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	586/1 मिन किता 01	0.0550 0.0550	हरा
1. रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	586/1 मिन किता 01	0.0550	पीला
2. रामजीलाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर		0.0550	
3. शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 1/3 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
1. कृष्ण पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	553 552	0.0800 0.0100	
2. चन्दालाल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 6/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	551	0.0250 0.1150	
3. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 5/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	किता 03		
4. नेहरू पुत्र रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
5. भूरामल पुत्र उदा जाति मीना हिस्सा 6/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
6. तीजा देवी पत्नी रामूलाल जाति मीना हिस्सा 2/23 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
1. छाजू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 96/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	550 555	0.1420 0.1000	
2. छीतर पुत्र किशना जाति मीना हिस्सा 171/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर	किता 02	0.2420	
3. रामगोपाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
4. रामजीलाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
5. शंकर लाल पुत्र बंदी जाति मीना हिस्सा 32/605 सा. देह हाल आबाद ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर			
6. मंजू मीना पत्नी रामेश्वर लाल जाति मीना हिस्सा 2/5 सा. देह			



उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/09/2022 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा
 सप-खण्ड अधिकारी
 प्रथम डिग्री



मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।